'अप्प दीपो भव'

वॉयस ऑफ बुद्धा

Postal Reg. No.-DL(ND)-11/6144/2016-18
WPP Licence No.- U(C)-101/2017-18
R.N.I. No. 68180/98

Date of Publication : 15.06.2017
Date of Posting on concessional rate :
2-3 & 16-17 of each fortnight

मूल्य : पाँच रूपये

प्रेषक : डॉ0 उदित राज (राम राज) चेयरमैन – जस्टिस पब्लिकेशंस, टी–22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001, फोन : 23354841–42

Website : www.uditraj.com E-mail: parisangh1997@gmail.com

● वर्ष : 20 ● अंक 14 ● पाक्षिक ● द्विभाषी ● कुल पृष्ठ संख्या 8 ● 1 से 15 जून, 2017

27 व 28 मई को शिमला में

परिसंघ का दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर संपन्न

अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ का दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर उद्यान आडोटोरियम, नव विहार शिमला में गत् 27–28 मई, 2017 को संपन्न हुआ। प्रशिक्षण शिविर के लिए परिसंघ के राष्ट्रीय सचिव श्री परमेन्द्र एवं कोषाध्यक्ष श्री संजय राज पिछले 2 महीने से तैयारी में लगे हुए थे। श्री परमेन्द्र जी ने बुद्धवंदना व पंचशील से प्रशिक्षण शिविर की शुरूआत की और उपस्थित जन समूह को बाबा साहेब द्वारा सुझायी गयी 22 प्रतिज्ञाएं दिलाई। पूरे प्रशिक्षण में मुख्यतः दो विषयों पर जोर दिया गया, पहला, संविधान में प्रदत्त भागीदारी को बचाए रखने के लिए संघर्ष और दूसरा, भारतीय समाज को अंधविश्वासमुक्त बनाकर जातिविहीन समतामूलक समाज की स्थापना करना।

डॉ. उदित राज का स्वागत करते हुए सीताराम बंसल, निहाल सिंह, आसाराम, राम प्रकाश व अमर देव साथ खड़ी सविता कादियान पंवार

प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, डॉ. उदित राज ने कहा कि एक दो घंटे की मीटिंग बुला लेने से वह प्रभाव नहीं पड़ पाता जो बाहर ले जाकर प्रशिक्षण देने में होता है। पहले दिन का प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि अभी शिमला पहुंचने में ट्रैफिक की वजह से हम सभी के 4–5 घंटे ट्रैफिक में खराब हो गया तो लगा कि कहीं हमने गलत जगह का चुनाव तो नहीं कर लिया लेकिन यहां पहुंचने पर पता लगा कि हम लोगों ने प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त जगह का चुनाव किया है।

उन्होंने आर.एस.एस. का उदाहरण देते हुए कहा कि उनका कैडर बहुत मजबूत होता है। उनके यहां जब प्रशिक्षण होता है तो हर किसी का मोबाइल फोन बाहर रखवा दिया जाता है, चाहे वह कितना ही प्रभावशाली व्यक्ति हो। इसलिए हम सभी जब प्रशिक्षण में रहें तो कम से कम अपना मोबाइल बंद रखें। वे लोग जब सीखने के लिए जाते हैं तो कोई पूर्वाग्रह नहीं होता, भाषण की मांग नहीं करते, मंच पर बैठने की चाहत नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ सीखने की चाहत होती है। आप सभी तन से यहां हैं ही, पूरे मन से ध्यान केन्द्रित करके सीखने की कोशिश करें, क्योंकि वर्तमान हालातों को देखते हुए आप सभी का कैडर देने के लिए तैयार होना बड़ा जरूरी है। किसी आदमी के पास अक्ल की कमी नहीं होती और कोई ऐसा नहीं होता कि उसको बहुत ज्यादा अक्ल हो। सिर्फ कोशिश से यह संभव है। उन्होंने सुकरात का जिक्र करते हुए कहा कि उनका एक शिष्य आया और उनसे पूछा कि आपकी सफलता का राज क्या है? या कैसे सफलता प्राप्त की जा सकती है तो उन्होंने कहा कि कल आना फिर बताउंगा। दूसरे दिन आया तो फिर से वही जिद की। तब सुकरात उसको नदी के किनारे लेकर गए और उसे गहरे पानी में फेंक दिया। जब निकलने की कोशिश किया तो फिर से उसे पानी में डुबो दिया, बार–बार उसकी निकलने की कोशिश पर उसे डुबोते रहे और जब उसकी हालत खराब हो गयी तो उसे पानी से निकाल लिया। जब वह नार्मल हुआ तो सुकरात ने पूछा कि जब तुम डूब रहे थे तो सबसे ज्यादा किस बात की कोशिश कर रहे थे, तब उसने बताया कि जान बचाने और सांस लेने के लिए। तब सुकरात ने कहा कि यही सफलता का राज है कि जब तुम किसी कार्य में जी–जान से लगोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। जिस तरह से डूबता हुआ व्यक्ति जान बचाने और सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा होगा तो उसके दिमाग में करोबार, रोजमर्रा की जीचें, परिवार, रिश्तेदार कुछ भी दिमाग में नहीं आएगा। इसी तरह सबकुछ भूल कर एक दिशा में प्रयास किया जाए तो सफलता असंभव नहीं है। डॉ. उदित राज जी ने अपने बारे में बताते हुए कहा कि मैं भी संघर्षों के दौर से गुजरा हूं। घर का माहौल पढ़ाई–लिखाई का नहीं था। मैं कभी साधारण सा विद्यार्थी था, बहुत प्रतिभाशाली नहीं था, लेकिन प्रयास रहता था कि अच्छा करूं। किसी काम के पीछे लगा तो उसे लक्ष्य बनाकर उसी दिशा में प्रयास किया।

उन्होंने कहा कि महिला का कोई अपना अधिकार नहीं होता। पुरूष घर का मालिक, लेन–देन का मालिक, शादी–विवाह का मालिक, श्राद्ध करने का अधिकार, अंतिम संस्कार का अधिकार है, लेकिन महिला अपनी शरीर की भी मालिक नहीं है। महिला का मालिक या तो उसका पति होता है या पूरा समाज होता है। महिला अपनी शरीर की भी मालिक नहीं है, लेकिन जब तक एहसास न कराया जाए क्रांति नहीं होती। जब संविधान हमें बराबरी का दर्जा देता है, बोलने की भी आजादी देता है। देश संविधान से तो पूरी तरह नहीं चलता। धर्मग्रंथों, स्वीकार्य नहीं। यही कारण है कि जब हम अपनी पार्टी बनाते हैं तो हमें उनका वोट नहीं मिलता। मैंने भी इंडियन जस्टिस पार्टी बनायी थी, लेकिन अपेक्षित समर्थन समाज से नहीं मिला, जिसके कारण इस तरह का समझौता करना पड़ा।

बहुजन समाज पार्टी में ज्यादातर पदाधिकारी एक ही जाति से होते हैं, लेकिन हमारे परिसंघ में कोई भी पद जाति देखकर नहीं बल्कि योग्यता देखकर निर्धारित की जाती है। सुश्री मायावती जी ने कई बार आलोचना करते हुए कहा है कि उदित राज अमुक जाति का है, पासवान जी अमुक जाति से हैं। जब बंगारू लक्ष्मण जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उन्हें कहा कि वे तो सफाई करने वाली जाति से हैं। इस तरह से हम कभी एकत्रित नहीं हो सकते। आज कोई भी आपके अधिकार छीन ले कोई बोलने वाला नहीं है। जब कोई सरकारी नौकरी में जाता है तो उसके परिवार को ही नहीं बल्कि मोहल्ले और रिश्तेदारों तक को

उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए डॉ. उदित राज

उसका लाभ मिलता है।

एक सरकारी अधिकारी या कर्मचारी को कम करके आंकना ठीक नहीं है। 1997 से आरक्षण बचाने की लड़ाई लड़ रहा हूं, खुद आईआरएस रहा हूं तो सरकारी कर्मचारियों के महत्त्व को जानता हूं।

(शेष पृष्ठ 2 पर)

(पृष्ठ 1 का शेष)

इनका महत्त्व किसी भी दशा में एम. पी. या एम.एल.ए. से कम नहीं है। 1997 एवं 2000 के बीच पूरे देश में 40-45 लाख दलित सरकारी अधिकारी-कर्मचारी हुआ करते थे, जिनकी संख्या घटकर आज 20-25 लाख रह गयी है। इसलिए कहा जा सकता है कि 40 लाख से अधिक लोगों ने दलित समाज का नेतृत्व किया था, जिसके कारण ही इनका कुछ विकास हो सका। यदि दलितों को पढ़ाई-लिखाई करने के बाद यदि निजी क्षेत्र में नौकरी मिल भी जाती है और अच्छी तनख्वाह भी हो तो क्या वह मुंह खोलने की स्थिति में होता है? जैसे ही मुंह खोलने की कोशिश करेगा, उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, लेकिन सरकारी क्षेत्र में ऐसा नहीं है, वह समाज के लिए लड़ सकता है। निजी क्षेत्र में ज्यादातर जान-पहचान वालों की नियुक्ति की जाती है। इसलिए वहां नौकरी पाना भी बड़ी समस्या है।

अब सवाल उठता है कि निजी क्षेत्र व पदोन्नति में आरक्षण के लिए क्या ब्राह्मण, राजपूत या जाट भाई समर्थन देंगें? यह तो अपने समाज से ही मिल सकता है। राजनैतिक सत्ता तो आवश्यक है ही लेकिन सामाजिक ताक़त से भी अधिकार मिल सकते हैं। जाटों ने सामाजिक ताक़त के बल पर ही आरक्षण लिया। मोदी जैसे मजबूत प्रधानमंत्री को उनकी बात माननी पड़ी और अब ओ.बी.सी. कमीशन को संवैधानिक दर्जा भी मिलने जा रहा है। पटेल आंदोलन को देखो। 4-5 लाख पटेलों ने एकजुट होकर आंदोलन किया गुजरात जैसे राज्य में उनके लिए आरक्षण का प्रावधान करना पड़ सकता है। यदि हम समझते हैं कि हमारे राजनैतिक लोग हमारे अधिकारों को बचाने के लिए कुछ करेंगें तो हमें आज ही यह सोच बदलनी पड़ेगी। उपरोक्त उदाहरणों से देखा जा सकता है कि सामाजिक आंदोलनों के सामने सरकारें झुकीं हैं, ऐसा हमें भी करना पड़ेगा। पूर्व में हमने अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के माध्यम से सामाजिक ताक़त के माध्यम से ही हमने तीन संवैधानिक संशोधन कराकर आरक्षण बचाने का कार्य किया है। लोक पाल में आरक्षण की व्यवस्था इसी वजह से हो सकी। निजी क्षेत्र में आरक्षण का राष्ट्रीय मुद्दा हमारे आंदोलन की वजह से ही हो सका। लाखों लोगों को 2001 में बौद्ध धर्म में दीक्षा दिलाई। दीक्षा के बाद हमारा प्रयास था कि एक लाख लोगों का अंतर्जातीय विवाह एक मंच पर कराकर जाति तोड़ने का काम करें लेकिन सोची समझी साजिश के तहत लोगों की जातीय भवना भड़काकर लोगों को हमारे आंदोलन से दूर करने की कोशिश की गयी। 2001 में मान्यवर कांशीराम जी ने भोपाल में कहा कि वे पांच करोड़ लोगों की दीक्षा कराएंगें। 2006 में मायावती जी ने भी नागपुर में बोला था कि वे पांच करोड़ लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि मेरी जाति के लोग दाल में नमक की तरह हैं। जिस तरह से हम सामाजिक रूप से इतने विभाजित हैं, तो किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, हमें नुकसान पहुंचाने के लिए।

प्रशिक्षण शिविर में मंच पर बैठे डॉ. उदित राज के साथ सीताराम बंसल, सत्यनारायण एवं अर्चना भोयर

पी.वी. नरसिंहराव ने 1990 में निजीकरण की नीति शुरू की और उसके बाद से यह सिलसिला चल पड़ा। अब तो इसके खिलाफ कोई बोलने वाला ही नहीं है। अब तो सीधे अखबारों व टीवी चैनलों में आता है कि बजट में धन की कमी को विनिवेश या निजीकरण करके पूरा किया जाएगा। सीधे कहा जाता है कि एफडीआई 100 प्रतिशत कर दो। इससे किसका नुकसान होने वाला है। यदि 100 प्रतिशत एफडीआई डिफेंस में हो जाए तो पिस्तौल, गोला-बारूद से लेकर हर चीज निजी कंपनियों द्वारा निर्मित की जाएंगी और कर्मचारियों व अधिकारियों की आवश्यकता नहीं होगी। अभी हाल में देश के 23 बड़े रेलवे स्टेशनों को निजी हाथों में देने का फेसला किया गया है। इतने बड़े नुकसान पर भी देश के किसी कोने से आवाज नहीं उठ रही है।

उन्होंने सोसल मीडिया का महत्त्व विस्तार से बताया और सभी को परिसंघ के फेसबुक, ट्वीटर व यूट्यूब चैनल से जुड़ने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यदि हम सबसे सरल काम सोसल मीडिया से भी नहीं जुड़ सके तो हमारे अधिकार बचने वाले नहीं हैं।

हम लोगों को यहां से सीखने के बाद उसे घर तक इस सोच को ले जाना चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोग यहां जो सीखते हैं, यहीं छोड़कर चले जाते हैं। उसे अपने व्यावहारिक जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करते। यही कारण है कि बार-बार इस तरह के शिविर आयोजित करने के बाद भी हम असफल रह जाते हैं।

उ.प्र. से आए प्रशिक्षकों जैसे - रामहेत अनुरागी एवं प्रो. स्वयं प्रकाश ने अपने अनुभवों से लोगों को प्रशिक्षित किया।

कार्यक्रम को सफल बनाने में दिल्ली से मुख्य रूप से परमेन्द्र, संजय राज, सी.पी. सोनी, सत्यनारायण, बाबू लाल, सुमित, इन्द्रेश चंन्द्र, सविता कादियान पंवार, भानु पुनिया, अशोक लुहेरा, डॉ. रवीन्द्र, संजय जाटव, शैलेश मोहन, मास्टर राम कुमार, डॉ. गोविल, विक्रम बौद्ध एवं शिमला परिसंघ से सीताराम बंसल, आशाराम, निहाल सिंह, राम प्रकाश, अमरदेव, रूप लाल आदि ने विशेष योगदान दिया।

***

सिविल सेवा परीक्षा में जातीय भेदभाव

UPSC: विकलांगों को भी नहीं छोड़ा, लिखित में आगे हैं OBC लेकिन इंटरव्यू में कम कर दिए मार्क्स

नई दिल्ली। नेशनल जनमत ब्यूरो

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा को देश की क्या विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा माना जाता है। सामान्य घरों से लेकर अमीर घराने के लड़के भी आईएएस बनने का ख्वाब पाले इस परीक्षा में बैठते हैं। लेकिन हैरत होती है ये सोचकर कि इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वाले पद पर बैठे व्यक्ति भी जातिवाद से ओतप्रोत होते हैं।

इतना तो स्पष्ट है कि इस देश में रहने वाला तकरीबन हर व्यक्ति एक खास जाति लेकर पैदा होता है। तो जो लोग चयन प्रक्रिया में शामिल होते हैं उनको कैसे जाति से विमुक्त माना जाए। अक्सर यूपीएससी से लेकर अन्य परीक्षाओं में ओबीसी और एससी कैटेगरी के छात्रों को इंटरव्यू में कम मार्क्स देने की बात सामने आती रहती है। लेकिन इस बार तो जातिवादियों ने हद ही पार कर दी विकलांग छात्रों को जाति के चश्मे से देखा गया।

ज्यादा नम्बर पाने के बाद भी ओबीसी विकलांग का सिलेक्शन नहीं

संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण के तहत यूपीएससी में एससी-एसटी-ओबीसी और विकलांग अभ्यर्थियों को आरक्षण दिया जाता है। नियमानुसार तीन प्रतिशत सीटें विकलांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं। इस बार 1099 कुल पद के अनुसार 33 सीटें विकलांग अभ्यर्थियों के लिए सुरक्षित थीं। लेकिन अंतिम चयन हुआ 44 अभ्यर्थियों का। खैर इसमें कोई दिक्कत की बात भी नहीं।

44 में से 35 सवर्णों का हो गया सिलेक्शन-

असली खेल यहीं से शुरू हुआ विकलांगों का जो अंतिम चयन हुआ उसमें जमकर जाति का खेल खेला गया। कुल 44 चयनित विकलांग अभ्यर्थियो में से 35 सवर्णो का चयन कर लिया गया। लिखित परीक्षा में ज्यादा नंबर लाने के बाद भी सिर्फ 9 ओबीसी चयनित हो पाए। एससी-एसटी का कोई छात्र चयनित नहीं हुआ।

इस लिहाज से देखें तो विकलांग कोटे के तहत चयनित अभ्यर्थियों में से 80 प्रतिशत सीटें सामान्य वर्ग को दे दी गईं। इतना ही नहीं खेल यहां भी खेला गया। आप खुद देखिए ओबीसी छात्रों को लिखित में ज्यादा नंबर मिलने के बाद भी इंटरव्यू में उनको कम देकर रोकने की कोशिश की गई।

हैरान करने वाली बात है ये-

2011 की जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार भारत मे एससी की 18 प्रतिशत जनसंख्या और एसटी की 15 प्रतिशत जनसंख्या विकलांग है। जबकि पूरे देश का औसत 2.5 प्रतिशत है। ऐसे में विकलांग कैटेगरी में किसी भी एससी एसटी का चयन न होना हैरान करने वाली बात है।

http://nationaljanmat-com/physically&handicaped&obc&sc&st&interview/

***

देश से सवाल

डॉ. उदित राज

सहारनपुर में दलित और ठाकुर का जो खूनी झगडा है क्या इसका सरोकार देश के हर नागरिक से नहीं है। क्या सरकार की ही चिंता झगडा शांत कराने की है ? क्या पूरे देश से हर कोने से आवाज नही उठनी चाहिए कि बस हो गया अब कितना कीमत चुकायेंगे। देश बार-बार पराजित होता रहा मुख्य कारण जाति ही रही है। जो आया वह जीता और पराधीनता से बड़ी कोई हानि हो नही सकती। हजारों साल से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सूद्र देश में एक साथ रह रहे हैं और अभी भी दीवारे पटने का नाम नही ले रही हैं। क्यों नही लोग सोचते कि जब तक जाति है तब तक जनतंत्र का स्वरुप भी वैसा ही होगा। जैसा शासन-प्रशासन का ढांचा होगा। केवल राजनीति से अर्थात सरकार से देश आगे नहीं जा सकता जब तक कि समाज में रह रहे विभिन्न वर्ग चाहे बुद्धजीवी, स्वयंसेवी संस्था, कर्मचारी-अधिकारी स्वतः न सोंचे कि इस अभिशाप को खत्म करना है।

जनतंत्र की अवधारणा पाश्चात्य देश में हुई और हमने शासन-प्रशासन के लिए इसे अपनाया। जो जनतंत्र यूरोप और अमेरिका में है वहां के समाज के अनुरुप ज्यादा रहा है लेकिन हम कमोवेश उसी मंडल को अपने यहाँ लागू किये जबकि अपनी सामाजिक, धार्मिक एवं संस्कृतिक परिस्थिति के हिसाब से इसको अपनाना और फिर विकसित करना चाहिए था। सरकार का चरित्र कल्याणकारी हो जो कि सभी जनतंत्र में होता है लेकिन समाज के ताना-बाना को न छुए तो उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है। दलित-पिछड़े और महिलाओ की भागेदारी और विकास सरकारों के प्रयास से ज्यादा हुआ लेकिन दूसरा पक्ष अनछुआ ही रहा। एक तरफ कल्याणकारी योजनायें चलती रहती हैं और दूसरी तरफ जात-पात और सामाजिक ढांचे में कोई परिवर्तन का प्रयास न हो तो फासला बना ही रहेगा। यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि समाज में भेदभाव यथावत रहे तो सरकारी प्रयास भी निरर्थक साबित होते रहेंगे। यही वजह है कि सहारनपुर जैसे खूनी झगडे होते हैं। यही नहीं कुछ लोगों ने भरपूर प्रयास किया कि जाति का बंधन और मजबूत हो ताकि राजनैतिक और सामजिक लाभ नेतृत्व को मिलता रहे।

सहारनपुर की घटना से किसी को कोई लाभ नहीं मिल सकता है। न तो ठाकुरों को लाभ मिलेगा और दलितों का तो होना ही नहीं है। जितनी भावना और शक्ति इस झगडे में खर्च हुई अगर वही स्वच्छता या शिक्षा या सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लगी होती तो प्रभावित इलाके में काया पलट सकती थी। क्या लोग स्वच्छता या किसी अच्छे मकसद के लिए जान देने और लेने तक सोंच सकते हैं, कदापि नहीं अगर ऐसा होता तो भारत दुनिया में सबसे आगे होता। झूठी शान, मूछ की लड़ाई, जाति का वर्चस्व से क्या देश का 1 इंच भला हो सकता है। यदि यही उर्जा सरकारी योजनाओं को लागू कराने में या भ्रष्टाचार खत्म करने में लगी होती तो हम कितने आगे निकल सकते थे। जिस तरह से इस निरर्थक उद्देश्य के लिए भूखे प्यासे और काम बंद करके मारपीट के लिए निकले हैं

***

27 मई को दैनिक जागरण में प्रकाशित लेख

जस्टिस कर्णन गलती पर तो सुप्रीम कोर्ट क्यों

डॉ. उदित राज

दुनिया में जितना आजाद और स्वायत्त हमारी उच्च न्यायपालिका है उतना कहीं और नहीं है । किसी भी देश में न्यायाधीश अपने को नियुक्त नहीं करते जो हमारे यहाँ है। संविधान की धारा 124 और 214 के तहत सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और सुप्रीम कोर्ट की भूमिका सलाहकार के रूप में है। 6 अक्टूबर 1993 को सुप्रीम कोर्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जिसमे पेटिशनर सुप्रीम कोर्ट एडोकेट्स ऑन रिकार्ड्स एसोसिएशन थी, फैसला दिया कि कार्यपालिका की भूमिका जजों की नियुक्ति में न्यायपालिका से कम होगी अर्थात् चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति में भूमिका निर्णायक होगी । यह संविधान की मंशा के विरुद्ध किया गया। 1998 में राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि संविधान की धारा 143 में कंसल्टेशन से क्या आशय है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि मुख्य न्यायधीश के अलावा 4 वरिष्ठ न्यायाधीश कोलोजियम का हिस्सा होंगे। इस तरह से और स्पष्ट कर दिया कि न्यायपालिका की नियुक्ति में अधिकार अंतिम होगा। अमेरिका में सीनेट और राष्ट्रपति जज की नियुक्ति करते है। जर्मनी में पार्लियामेंट के द्वारा नियुक्त किये जाते है और रूस में भी लगभग यही स्थिति है। हमने ब्रिटिश सिस्टम को अपनाया और वहां भी जज को जज नियुक्त नहीं करते है।

राजनीतिज्ञों के प्रति सहानुभूति कम और न्यायपालिका में ज्यादा की स्थिति में कार्यपालिका कमजोर होती गयी। दिन-प्रतिदिन उच्च न्यायपालिका ताकतवर बनती गयी और फिर भी सरकार के ऊपर आरोप लगता रहा कि वह इसके स्वायत्ता पर आक्रमण कर रही है। मीडिया की मेहरबानी कुछ ज्यादा ही रही। धीरे-धीरे उच्च न्यायपालिका कानून बनाने का काम करने लगी। यहीं तक मामला नहीं रुका बल्कि प्रशासनिक और जांच का भी कार्य लेने लगी। अपने अधीन टास्क फोर्स बनाकर या अन्य माध्यम से भ्रष्टाचार जैसे मामलों में जांच करने लगी। यहाँ तक कि अधिकारियों की तैनाती भी करने लगे। सरकार के द्वारा किये जा रहे तमाम कार्यों और योजनाओ का मूल्यांकन भी करने लगे। समय-समय पर कार्यपालिका एवं विधायिका को निर्देश, आदेश और सलाह तो देते ही रहे हैं। अपने को दूध का धुला और बाकी शेष की कमी निकालना और डांटना दैनिक गतिविधि हो गयी।

सरकार ने नेशनल ज्युडिशियल अप इंटमेंट कमीशन संविधान संशोधन करके बनाया। 5 जजों की पीठ ने इस संवैधानिक संशोधन को गैर- संवैधानिक करार कर दिया। संवैधानिक संशोधन जब संसद करती है तो उसके पीछे देश की जनता की सहमति होती है। इस देश की लगभग सवा सौ करोड़ जनता की राय को पांच जजों ने अवैध ठहरा दिया। संवैधानिक स्थिति यह है कि न्यायपालिका का कार्य जो कानून है उसका व्याखान करना। परिस्थिति ऐसी बन गयी है कि दादा के समय का मुकदमा बेटे और पोते के जमाने में निबटाये जा रहे है। न केवल यही बल्कि आम आदमी के परे उच्च न्यायपालिका से न्याय लेना और मुश्किल हो गया है। हाल में जस्टिस खरे ने कहा आम आदमी को सोचना भी नहीं चाहिए कि वह उच्च न्यायपालिका से न्याय ले सकता है। कहने का मतलब कि वकील बड़े महगे हो गए जो आम आदमी के बस का नहीं है। वकीलों ने महंगा नहीं किया है बल्कि न्यायपालिका का ऐसा ढांचा और व्यवहार हो गया है कि कुछ वकीलों को ही तवज्जो दिया जाता है। जो ही होगा। बात "फेसवैल्यु" के वकील द्वारा

***

नसोसवाईएफ का दो दिवसीय पांचवा राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर दिल्ली में

नेशनल एस.सी. एस.टी. ओबीसी स्टूडेंट एंड यूथ फ्रंट (नसोसवाईएफ) का पांचवा राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर 9 एवं 10 जून 2017 को दिल्ली में संपन्न हुआ। इस प्रशिक्षण शिविर में 10 राज्यों के छात्र एवं युवा नेता शामिल हुए थे।

नसोसवाईएफ के मुख्य मार्गदर्शक डॉ. उदित राज जी, नसोसवाईएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष – डी. हर्षवर्धन, राष्ट्रीय समन्वयक – प्रताप सिंह अहिरवार, परिसंघ के रा. सचिव परमेन्द्र जी ने छात्रों एवं युवाओं का मार्गदर्शन किया।

नसोसवाईएफ के प्रशिक्षण शिविर में आए हुए छात्र नेताओं का मार्गदर्शन करते हुए डॉ. उदित राज जी ने कहा कि कोई भी संगठन समर्पण, त्याग एवं बलिदान करने वाले नेताओं व कार्यकर्त्ताओं पर निर्भर रहता है। संगठन को आगे बढ़ाना है तो कार्यकर्त्ताओं की विचारधारा स्पष्ट होनी जरूरी है और यह विचारधारा जो संगठन की है और जनता तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्त्ता सदा सक्रिय रहने की जरूरत है। नसोसवाईएफ का गठन हुए पांच वर्ष पूरे हो चुके हैं। 12 से 15 राज्यों तक संगठन पहुंचा है। मगर सक्रिय कार्यकर्त्ताओं की कमी के कारण संगठन उठ नहीं पा रहा है। इसीलिए इस प्रशिक्षण शिविर की जरूरत है। कार्यकर्त्ताओं के बीच में उत्साह होना चाहिए। नव समाज का निर्माण करने के संदर्भ में चाहे परिस्थितियां विपरीत हों, फिर भी निःस्वार्थ कार्यकर्त्ता अपनी मेहनत और प्रयास से विपरीत परिस्थितियों पर विजय पाता है, मगर शर्त होती है कामयाबी के लिए मेहनत करने की। उन्होंने आर.एस.एस. के पूर्णकालिक कार्यकर्त्ताओं की कार्यप्रणाली का उदाहरण दिया। वे 20-20 सालों तक घर परिवार में नही जाते। पद पाने की होड़ नहीं रहती। जहां भी उन्हें भेजा जाता है हर समय जाने के लिए तैयार रहते हैं। सुख-सुविधाओं की परवाह नहीं करते। इस तरह का भाव हम लोगों में कम ही दिखाई देता है। संगठन के छात्रों और युवाओं को सोसल मीडिया द्वारा संगठन को मजबूत करने की सलाह दी। सोसल मीडिया का उपयोग ज्यादा से ज्यादा छात्र एवं युवा संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से करें। कार्यकर्त्ताओं ने अपने अंदर छुपी हुई निराशा को खत्म करके समाज में फैले हुए जातिवाद को खत्म करने के लिए छात्र एवं युवाओं को संगठन से ज्यादा से ज्यादा जोड़ने की जरूरत है। दूसरे दिन के सत्र में भी डॉ. उदित राज जी उपस्थिति होकर छात्रों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि युवाओं को विचारधारा पर जोर देना जरूरी है। वर्तमान स्थिति में दलित, आदिवासियों का जो उत्पीड़न हो रहा है, उसे बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर की विचारधारा से ही खत्म किया जा सकता है और विचारधारा से ही समाज में नया परिवर्तन आ सकता है। विचारधारा के सिवाय समाज मूर्तावस्था में होता है। विचारधारा आदमी को नए समाज का निर्माण करने के लिए उकसाती रहती है। विचारधारा से नव सांस्कृतिक परिवर्तन लाना नसोसवाईएफ के कार्यकर्त्ताओं की जिम्मेदारी है। डॉ. उदित राज जी ने कार्यकर्त्ताओं को संगठन को मजबूत करने के लिए बौद्धिक और शारीरिक योगदान देने की बात की। उसी तरह निःस्वार्थ समाज को परिवर्तन करने के लिए कार्य करने के संदर्भ में मार्गदर्शन किया।

इसी प्रशिक्षण शिविर में छात्र व युवाओं का मार्गदर्शन करते हुए नसोसवाईएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, डी. हर्षवर्धन ने भारतीय वर्णव्यवस्था के निर्माण के कारण और बौद्ध कालखंड में वर्णव्यवस्था का खात्मा तथा बौद्ध कालखंड के बाद फिर से जाति व्यवस्था का निर्माण और कारण बताए। देश में दलित-आदिवासी और पिछड़ों का संघर्ष उत्तर वैदिक कालखंड में जो इन लोगों के ऊपर जान की पाबंदी लगायी गयी थी, उसी के खिलाफ बौद्ध काल खंड में ज्ञानमुक्ति का संघर्ष शुरू हुआ। यह संघर्ष ज्ञान की पाबंदी के खिलाफ ज्ञानमुक्ति का है। ऐतिहासिक कालखंड से ही दलित-आदिवासी एवं पिछड़ों का ब्राह्मणी और मनुवादी वर्णव्यवस्था के खिलाफ संघर्ष है। हम लोगों को ज्ञान की पाबंदी करके मनुवादी और ब्राह्मणी समाज व्यवस्था में बहिष्कृत और अछूत बनाकर मानवीय विकास के सारे रास्ते बंद करवा दिए गए थे। मगर तथागत बुद्ध, संत कबीर, संत रविदास, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, शाहूजी महाराज और बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन हमारे आपके लिए ज्ञान व मुक्ति के संघर्ष में लगा दिया। डी. हर्षवर्धन ने तथागत बुद्ध, संत कबीर, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, शाहूजी महाराज और बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर के जीवन संघर्ष के बारे में विस्तृत रूप से छात्रों और युवाओं को बताया। ये महापुरुषों की बदौलत वर्तमान स्थिति में दलित, आदिवासी एवं पिछड़े अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर पा रहे हैं तो उसी तरह जो कुछ विकास संभव हो पाया, वह इन्हीं महापुरुषों की बदौलत है। नसोसवाईएफ बुद्ध, फुले, शाहूजी एवं अम्बेडरवादी विचारों का संगठन है। हम इन्हीं विचारों के दम पर इस देश में समतावादी सामाजिक क्रांति ला सकते हैं। छात्रों ने इसी विचारधारा से ही सक्रिय होकर संगठन को आगे बढ़ाने के लिए वचनबद्ध होना चाहिए, यही जिम्मेदारी इस प्रशिक्षण शिविर में आए हुए सभी छात्रों की है।

इस शिविर में परिसंघ के राष्ट्रीय सचिव, श्री परमेन्द्र जी ने अंधविश्वास को खत्म करने के बारे में छात्रों को मार्गदर्शित किया। उसी तरह गुलामीवादी संस्कृति को नकार के मनवतावादी संस्कृति बनाने के बारे में अपनी बात रखी।

इस प्रशिक्षण शिविर में छात्रों एवं युवा नेताओं को संगठनात्मक कार्य करने के संदर्भ में राष्ट्रीय समन्वयक प्रताप सिंह अहिरवार ने मार्गदर्शन किया। उसी तरह संगठन की रणनीति और संगठन की योजनाओं के बारे में युवा नेताओं को बताया। सदस्यता लेने के संदर्भ में के. बालाजी और रवि सूर्यवंशी ने मार्गदर्शन किया। सोसल मीडिया के बारे में आलोक कुमार और विवेक सिंह विराट ने मार्गदर्शन किया। उसी तरह आने वाले सितंबर तक सभी राज्यों में राज्य स्तरीय सम्मेलन करने के संदर्भ में प्रशिक्षण शिविर में निर्णय लिया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में बिहार, उ.प्र., हरियाणा, म. प्र., राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, कर्नाटक, गुजरात व दिल्ली के साथी उपस्थित थे। इस प्रशिक्षण शिविर को सफल बनाने के लिए संजय राज जी ने कड़ी मेहनत की।

– डी. हर्षवर्धन
राष्ट्रीय अध्यक्ष
7709975562

***

दिल्ली परिसंघ के लोक सभा क्षेत्र स्तरीय सम्मेलन

दिल्ली परिसंघ के सभी सातों लोक सभा में सम्मेलन आयोजित किए जाने हैं। सबसे पहले लोक सभा क्षेत्र उत्तर पश्चिम दिल्ली का एकदिवसीय कार्यकर्त्ता सम्मेलन 12 जून 2017 को (सोमवार) सायं 5:30 बजे एम.सी.डी. फ्लैट बारातघर, अवंतिका में सम्पन्न हुआ। सम्मेलन में परिसंघ के कार्यकर्त्ताओं को संबोधित करते हुए परिसंघ के राष्ट्रीय चेयरमैन, माननीय उदित राज जी ने कहा कि कार्यकर्त्ता संगठन की रीढ़ की हड्डी होते हैं, हम कार्यकर्त्ताओं से कहना चाहते हैं कि संगठन को जिला, विधान सभा, मंडल, वार्ड, कॉलोनियों तक संगठन को मजबूत करें क्योंकि जितना बड़ा संगठन खड़ा करके हम कार्यकर्त्ता तैयार करेगें उतना ही संगठन मजबूत होगा, जो आज संविधान बदलने, आरक्षण खत्म करने आदि एवं पूरे देश में दलित भाइयों व बहनों पर जो अत्याचार हो रहा है, तभी हम इन सबसे लड़ सकेगें। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग परिसंघ के होलटाइमर बनें। घर छोड़कर दूसरे जिले व दूसरे राज्य में जाकर संगठन को मजबूत करें। सम्मेलन को मुख्य रूप से परमेन्द्र जी, सत्यनारायण, सविता कादियान पंवार, सुनील फौजी, अर्चना, अशोक लुहेरा, संजय राज, राम हेतु, बाबू लाल आदि लोगों ने संबोधित किया। सम्मेलन का संचालन संजय जाटव ने किया।

सम्मेलन में विधान सभा स्तर के पदाधिकारी नियुक्त किए गए, जो इस प्रकार हैं –

नाम	-	विधान सभा
अर्चना	–	प्रभारी, नरेला
धर्म सिंह	–	प्रभारी, बवाना
डॉ. रवीन्द्र	–	अध्यक्ष, बवाना
भानु पुनिया	–	प्रभारी, रोहिणी
संजय सूद	–	प्रभारी, बादली
संदीप	–	प्रभारी, रिठाला
सुरेश चौहान	–	अध्यक्ष, रिठाला
राम आसरे पासवान	–	प्रभारी, किराड़ी
दयानंद	–	प्रभारी, मुंडका
अशोक लुहेरा	–	प्रभारी, सुल्तानपुरी
सुरेश महला	–	प्रभारी मंगोलपुरी
राम करन मास्टर	–	अध्यक्ष, मंगोलपुरी

- बाबू लाल
संगठनमंत्री, दिल्ली प्रदेश
9918023024

***

मुस्लिम शासक औरंगजेब द्वारा किये गए सच्चे कार्यों को छिपाकर झूट दिखाया गया : अमेरिकी इतिहासकार देखें और शेयर करें

ऑड्री की किताब के अनुसार बादशाह बनने के बाद औरंगजेब ने फरवरी 1659 में शाही आदेश जारी करके बनारस के मंदिरों के मामलों में दखलंदाजी न देने की ताकीद की थी। इस आदेश में लिखा था कि "बहुत से लोग नफरत और जलन के कारण बनारस और आसपास के इलाकों के हिंदुओं जिनमें प्राचीन मंदिर की देखरेख करने वाला ब्राह्मण समूह भी है, को तंग करते हैं।

बादशाह अपने मातहतों को आदेश देते हैं कि कोई भी व्यक्ति गैर-कानूनी तरीके से बनारस या आसपास के किसी हिंदू को तंग न करे ताकि वो अपने परंपारगत स्थान पर रह सकें और मुगल सल्तनत की सलामती के लिए दुआ कर सकें।" बनारस के फरमान के बाद औरंगजेब ने कई अन्य जगहों पर ऐसे ही आदेश भेजे जिसमें हिंदुओं को मुगल सल्तनत की सलामती की दुआ के लिए अकेले छोड़ देने की बात कही गई।

औरंगजेब ने गद्दी संभालने के नौवें साल में असम के गुवाहाटी स्थित उमानंद मंदिर जमीन और मालगुजारी वसूलने का अधिकार दिया था। 1680 में उन्होंने आदेश दिया कि बनारस में गंगा घाट पर रहने वाले भागवंत गोसाईं को तंग न किया जाए। 1687 में औरंगजेब ने बनारस में रामजीवन गोसाईं नामक साधू को मंदिर बनाने के लिए जमीन दी थी। ये जमीन एकमस्जिद के पास ही स्थित थीं।1691 में औरंगजेब ने चित्रकूट के महंत बालक दास निर्वाणी को आठ गांव और कर मुक्त जमीन दी थीं।1698 में उन्होंने रंग भट्ट नामक ब्राह्मण को कर मुक्त जमीन दी थीं।इसी तरह उन्होंने अल्लाहाबाद, वृंदावन, बिहार एवं अन्य जगहों पर भी हिंदू संतों और मंदिरों को जमीन एवं अन्य चीजें दी थीं।

http://www-muslimworld-in/2017/03/21/real&story&of&orangjeb/4/

***

अमीर राज्यों और कम रोजगार वाले सेक्टरों की तरफ जा रहा है विदेशी निवेश

एफ.डी.आई. बढ़ रहा है, नौकरियों कहा हैं

वरुण गांधी

ज्यादा रोजगार पैदा करने वाले सेक्टरों में पूंजी नहीं आ रही। न एफडीआई, न देसी। हम रोजगार-विहीन विकास कर रहे हैं

भारत की अर्थव्यवस्था में एक अनोखा अंतर्विरोध दिखाई दे रहा है। विकासशील देशों में एफडीआई को आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिए रामबाण समझा जाता है। एफडीआई के नियमों में राहत देने और कारोबार आसान बनाने के उपायों के चलते पिछले तीन वर्षों में अपने यहां एफडीआई 28.2 प्रतिशत की तेज रफ्तार से बढ़ा है, फिर भी रोजगार की दर घटी है। देश के 30 फीसद से ज्यादा युवा बेरोजगार हैं। भारत की रोजगार सापेक्षता जीडीपी में बढ़ोत्तरी और रोजगार में वृद्धि का अनुपात 1991 के 0.3 फीसद से गिरकर 0.15 फीसद पर आ गई है। रोजगार में यह गिरावट एफडीआई की सीमाओं को रेखांकित करती है। स्टार्टअप निवेश को लेकर जैसा हल्ला मचा था, उस हिसाब से नौकरियों का ढेर लग जाना चाहिए था। लेकिन इसकी जगह हुआ क्या? नौकरियों में छंटनी का दौर शुरू हो गया और पिछले साल 10 हजार लोग नौकरी गंवा चुके हैं।

बढ़ती विषमता

अगले कुछ वर्षों में टेलिकॉम और ऑटोमोबाइल सेक्टर में कंपनियों के विलय और आईटी जैसे प्रमुख रोजगारदाता सेक्टर में वीजा कानूनों में बदलाव व ऑटोमेशन के कारण बड़े पैमाने पर पुनर्गठन होगा। इन उपायों से रोजगार के मौके और संकुचित होंगे। प्रति श्रमिक उत्पादन क्षमता में इजाफे ने खनन जैसे क्षेत्रों में कामगारों की संख्या घटा दी है। साल 1994-95 में एक करोड़ रुपये का खनिज निकालने में 25 मजदूर लगाने पड़ते थे, अब सिर्फ 8 लगाने पड़ते हैं। तार्किक रूप से देखें तो एफडीआई में बढ़ोत्तरी से प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार बढ़ने चाहिए थे, लेकिन भारत में भौगोलिक और क्षेत्रीय विषमताओं ने अपना असर दिखाया। इतिहास को दोहराते हुए विदेशों से आया प्रत्यक्ष निवेश महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे शहरीकृत राज्यों में गया। 2014 से 2017 के बीच इन राज्यों को कुल एफडीआई का करीब 75 फीसद हासिल हुआ, और यह रुझान बढ़ता ही जा रहा है।

इसके विपरीत उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे बड़े क्षेत्रफल वाले राज्यों को इसी अवधि में विदेशों से आने वाले एफडीआई का मात्र 1 प्रतिशत मिला। जैसे-जैसे एफडीआई बढ़ेगा, शहरीकृत, संपन्न राज्य और संपन्न होंगे, जबकि अन्य राज्यों के लिए पूंजी आकर्षित करना और कठिन होता जाएगा। क्षेत्रीय भेदभाव में फायदा पाने वाले सर्विस सेक्टर और आईटी सेक्टर (2014 से 2017 के बीच कुल एफडीआई का 25 फीसद) में रोजगार के अवसर सीमित हैं, जबकि बड़ी संख्या में रोजगार सृजित करने वाले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एफडीआई की हिस्सेदारी घट रही है। 2015 में 4,652 करोड़ रुपये के मुकाबले 2017 में इसमें मात्र 703 करोड़ का निवेश आया। टेक्सटाइल एवं लेदर जैसे अन्य सेक्टरों में, जहां भारत को कुछ स्वाभाविक लाभ प्राप्त हैं, वर्ष 2000 से एफडीआई में सिर्फ 0.8 फीसद की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई।

मेटलवर्क में अपनी शानदार विरासत के बावजूद, मेटल और केमिकल उद्योग निचले पायदान पर बना हुआ है। यहां कुल एफडीआई का 3-4 फीसद आया। तुर्रा यह कि यह एफडीआई ज्यादातर मामलों में टैक्स से बचने के लिए आता है। वर्ष 2000 से आए कुल एफडीआई में आधा सिंगापुर और मारीशस से आया। पूंजी आकर्षित करने में भारत ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे उभरते बाजारों से आगे है, लेकिन ज्यादा रोजगार पैदा करने वाले सेक्टरों में पूंजी नहीं आ रही। हम रोजगार-हीन विकास कर रहे हैं। बीते कुछ दशकों में हमने रोजगार सृजन और कृषि आय की कीमत पर एफडीआई को बढ़ावा दिया है। एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग) में काफी रोजगार मिलता है जो अक्सर बड़ी कंपनियों का चार गुना होता है, लेकिन इस सेक्टर में विकास दर स्थिर बनी हुई है। कर्ज वापसी का खराब रेकॉर्ड, उत्पादों की सीमित मांग और निवेश की कमी इसके विकास में बड़ी रुकावटें हैं।

भारत में एक समग्र एमएसएमई कानून होना चाहिए, जिसमें भूमि अधिग्रहण, श्रमिक मामले, फैक्ट्री बनाने या किराए पर लेने जैसी सारी बातें समाहित हों। इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सूक्ष्म इकाइयों को 10 साल का टैक्स हॉलिडे दिया जा सकता है, जबकि लघु व मध्यम इकाइयों के लिए नीची कर दरें लागू की जा सकती हैं। अधिक रोजगार देने वाले सेक्टरों में ज्यादा एफडीआई आकर्षित करने के लिए पिछड़े राज्यों में काम शुरू करने पर शर्तें आसान करने पर विचार किया जा सकता है। यह कदम शहरों की तरफ पलायन रोकने में भी मददगार होगा। चीन द्वारा अपने दूरस्थ इलाकों में निवेश आकर्षित करने के लिए किए गए नीतिगत उपायों का अध्ययन करके इन्हें अपने यहां लागू किया जा सकता है। निवेश बढ़ाने के लिए सिर्फ नीतिगत उपाय काफी नहीं। पिछड़े राज्यों में मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और औद्योगिक आधारभूत ढांचा बढ़ाना भी जरूरी है।

बदले प्रोफाइल

रेकॉर्ड एफडीआई के बावजूद सर्विस सेक्टर में रोजगार की कमी से निपटने के लिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी से तालमेल रखते हुए सेवाओं के लिए एक एकीकृत नीति लागू की जानी चाहिए, जो शारीरिक श्रम से लेकर इंटरनेट आधारित सेवाओं तक फैली हुई हो। जरा सोचिए, तैयार कपड़े भारत में बिना शुल्क आयात किए जा सकते हैं, जबकि हाथ से निर्मित धागे पर 10 फीसद शुल्क लगता है। लैपटॉप और मोबाइल फोन आयात करना आसान है, जबकि इनके पुर्जों पर ऊंचे दर का शुल्क लगता है। एफडीआई लाने की कोशिशें जारी रहें लेकिन इसका प्रोफाइल ऐसा होना चाहिए कि यह रोजगार पैदा करने वाला हो और स्थानीय विकास को बढ़ावा दे।

(लेखक बीजेपी के सांसद हैं)

http://epaper-navbharattimes-com

***

सरकारी नौकरी न केवल परिवार का उत्थान करती है, बल्कि इसका असर दूर-दराज के रिश्तेदारों पर भी पड़ते हैं - एक कर्मचारी या अधिकारी जिस गांव या स्थान का होता है, वहां का नेतृत्व भी प्रदान करता है। जागृति का कार्य मूलतः इन्हीं के द्वारा किया जाता है। सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में आरक्षण खत्म करने की मुहिम सन् 1990 से शुरु हुई और दिन-प्रतिदिन तेज होती जा रही है, रेलवे के इस कार्यक्रम से अंदाज लगाया जा सकता है कि किस तरह से खत्म किया है।

- डॉ. उदित राज

निजी हाथों में जाएंगे देश के 23 रेलवे स्टेशन,

(₹200 करोड़ में कानपुर सेंट्रल तो 150करोड़ में ले सकते हैं इलाहाबाद)

केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने इकॉनोमिक टाइम्स को जानकारी देते हुए बताया कि हमारी योजना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के तहत देश के 25 रेलवे स्टेशनों को दोबारा विकसित करना है।

केंद्र सरकार देश के सबसे मशहूर रेलवे स्टेशनों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के तहत इन्हें निजी कंपनियों के हाथों में सौंपने की योजना बना रही है। इस योजना में इन स्टेशन को दोबारा विकसित करने की भी योजना है। पत्रिका डॉट कॉम की रिपोर्ट के अनुसार इसके लिए 28 जून को ऑनलाइन नीलामी का आयोजन किया जाएगा। नीलामी में उत्तर प्रदेश का कानपुर जंक्शन और इलाहाबाद जंक्शन शामिल हैं जबकि राजस्थान का उदयपुर रेलवे स्टेशन भी शामिल है। सूत्रों के अनुसार नीलामी में भाग लेने वाली कंपनियों को रेलवे स्टेशन की वेबसाइट पर जाना होगा। नीलामी के लिए कानपुर जंक्शन की शुरुआती कीमत 200 करोड़ रुपए जबकि इलाहबाद जंक्शन के लिए 150 करोड़ रुपए रखी गई है। ये जानकारी वेबसाइट के हवाले से है। वहीं नीलामी के परिणाम का ऐलान 30 जून को किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार ने देश के कुल 23 रेलवे स्टेशनों को निजी हाथों में सौंपने का फैसला लिया है।

हालांकि इससे पहले इकॉनोमिक टाइम्स के हवाले से खबर आई थी कि केंद्र सरकार देश के कुल 25 बड़े रेलवे स्टेशनों को दोबारा विकसित करना चाहती है। जिनमें बैंगलोर, मुंबई का लोकमान्य तिलक (टर्मिनल), पुणे, थाने, विशाखापत्तनम, हावड़ा, इलाहबाद, फरीदाबाद, जम्मू तवी, बैंगलोर छावनी, भोपाल, मुंबई सेंट्रल (प्रमुख), बोरिवली और इंदौर के रेलवे स्टेशन शामिल हैं। इस दौरान केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने इकॉनोमिक टाइम्स को जानकारी देते हुए बताया कि हमारी योजना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के तहत देश के 25 रेलवे स्टेशनों को दोबारा विकसित करना है। उन्होंने कहा कि 3000 करोड़ के न्यूनतम निवेश में इन रेलवे स्टेशनों को विकसित करना है। वहीं इन स्टेशनों का विकास अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरुप किया जाएगा। जहां होटल, माल और लजीज व्यंजनों के स्टॉल के साथ मनोरंजन के साधन भी विकसित किए जाएंगे। इसमें सबसे अहम बात ये है कि ये सारा काम निजी कंपनियों द्वारा किया जाएगा। इसके लिए देश के मशहूर स्टेशन को 45 साल के लिए निजी कंपनियों के हवाले किया जाएगा।

http://www.jansatta.com

23 Station Privatisation

Railway	Division	Station	Investment (Rs. Cr.)
Central	Mumbai	Lokmanyatilak	250
		Thane	200
	Pune	Pune	200
East Coast	Waltair	visakhapatnam	200
Eastern	Howrah	Howrah	400
North Central	Allahabad	Allahabad	150
		Kanpur Central	200
North Western	Ajmer	Udaipur City	100
North East Frontier	Lumding	Kamakhya	228
Northern	Firozpur	Jammu Tawi	75
	Delhi	Faridhabad	70
South Central	Vijayawada	Vijayawada	94
	Secunderabad	Secunderabad	282
South Eastern	Ranchi	Ranchi	100
South Western	Bengalore	Bangalore Cant	80
		Yashvantpur	100
Southern	Chennai	Chennai Central	350
	Palghat	Callcut	75
West Central	Bhopal	Bhopal	75
Western	Ratlam	Indore	75
	Mumbai Central	Mumbai Central Terminus	250
		Bandra Terminus	200
		Borivile	280

समाज की हर कुंठा का समाधान है योनि

रीवा सिंह

एक लड़का एक लड़की को पसंद करता है। लड़की पसंद नहीं करती तो लड़का उसका बलात्कार करके अंगभंग कर देता है और फिर उसके सिर को गाड़ी से कुचल देता है। एक लड़की बहुत बहादुर बनती है, छींटाकशी बर्दाश्त नहीं करती तो उसे शाम में ऑफिस से लौटते वक्त सबक सिखाया जाता है और उसका बलात्कार हो जाता है। दो घरों में दुश्मनी होती है, तोड़फोड़ होती है, आग लगायी जाती है। इससे बदला पूरा नहीं होता तो उन घरों की महिलाओं का बलात्कार हो जाता है। दुश्मन घर की महिलाओं की योनि में घुस जाना ही जीत का प्रतीक है। लड़कियां शौच के लिए जाती हैं तो बलात्कार हो जाता है और वो नीम के पेड़ की शोभा बन जाती हैं। लड़कियां स्कूल के लिए जाती हैं तो बलात्कार हो जाता है और सड़क पर फेंक दी जाती हैं।

बांग्लादेश के विभाजन की लड़ाई में पाकिस्तानी सेना बांग्ला महिलाओं की योनि में घुसकर विजयी पताका फहरा रही थी। ये अचूक तरीका था जिससे बांग्लादेश कभी विभाजित नहीं हो सकता था क्योंकि उन औरतों के गर्भ में पल रहे हजारों बच्चे पाकिस्तानी योद्धाओं के थे। बोको हरम को पश्चिमी सभ्यता और शिक्षा से आपत्ति होती है तो 276 स्कूली लड़कियां अगवा कर ली जाती हैं जो कभी वापस नहीं आतीं।

इस समाज को हर समस्या का रामबाण इलाज मिल गया है। हर कुंठा का समाधान है योनि। यहीं आकर इस ब्रह्मांड को असीम सुख की प्राप्ति होती है। क्रोध, दंभ, अहंकार, प्रतिशोध, हिंसा, नफरत और अनंत सुख के आग की पराकाष्ठा यहीं आकर शांत होती है। भारत ने 104 उपग्रह ब्रह्मांड में पहुंचा दिये पर मंगल ग्रह तक पहुंच चुका समाज अब भी योनि में ही घुसने की होड़ लगा रहा है।

मुस्कुराती लड़कियों को प्रमाणपत्र मिल जाते हैं और बोल्ड लड़कियों को उपलब्ध मान लिया जाता है। हम वहां नारीवादी हो रहे हैं जहां रेप के वीडियो (आगरा में) 150 रुपये में धड़ल्ले से बिक रहे हैं और लोग उत्सुकतावश खरीद रहे हैं। अब उन्हें साधारण पॉर्न नहीं देखना, रेप वाला चाहिए।

ऐमेजॉन एक ऐश ट्रे बनाता है जिसे ट्रायपोलर क्रियेटिव ऐश ट्रे नाम दिया जाता है। इस ट्रे में एक महिला नग्न अवस्था में लेटी है, आपकी सिगरेट जैसे-जैसे खत्म होगी, उसकी राख को अलग करने के लिए आप उसे उसकी योनि में डालेंगे। रॉड, बोतलें, लाठियां सब घुसायी जाती रही हैं। आपकी मर्जी है, आप वो कर सकते हैं जिससे आपको सुकून मिले। महिलाएं कर ही क्या पाती हैं चिल्लाने के सिवा। ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना की तो औरतों का सर्वस्व निर्धारण करने का अधिकार आपको ही दिया था।

खैर, जब बोतल से लेकर लाठी तक वहां घुसायी जा सकती है तो सिगरेट क्यों नहीं! यही है इस ट्रे की क्रियेटिविटी। मैं सोच भी नहीं पा रही हूं कैसे किसी व्यक्ति ने ऐश ट्रे के इस मॉडल का प्रपोजल रखा होगा और किस मंशा के तहत टीम ने उसे अनुमति दी होगी। इसे किस आधार पर रचनात्मक कहने की जहमत उठायी गयी है! हाड़-मांस के लोथे के अलावा औरतों का कोई वजूद नहीं है? हम सिर्फ भोग्या हैं! क्या आपको आनंदविभोर करने के अतिरिक्त हमारे हिस्से कोई काम नहीं आया! क्या आपकी इस तृष्णा मात्र के लिए ही हम आपके पूरक हैं! शर्म आती है ऐसी रचनात्मकता पर! लानत है उस पूरी टीम पर जिसने इसे पास कर बाजार में उतारने की अनुमति दी। जिस समाज को योनि में आकर ही सुकून मिलता है उसे आप न घर-परिवार की दुहाई देकर सुधार सकते हैं और न सेक्स एजुकेशन देकर।

बधाई हो! आपकी रचनात्मकता ने हमारे पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा है।

रीवा सिंह टाइम्स ग्रुप में सीनियर कॉपी एडिटर हैं।
riwadivya@gmail.com

http://www-nationaldastak-com/story/view/vimarsh&on&amazon&website&bad&thinking

***

पटना नगर निगम में नहीं चुनकर आये एक भी ब्राम्हण भूमिहार

-54 पिछड़े-अति पिछड़े पार्षदों के पास मेयर पद की चाबी, यादवों के पास सबसे ज्यादा 18 सीटें, कुरमी-बनिया-चंद्रवंशी मिल गये तो किसी की जरूरत नहीं

-ऐसे भी सुलझा सकते हैं मेयर चुनाव की उलझन

पार्षदों में पिछड़ों की बहुमत, मेयर बनाने के लिए 38 वोट की जरूरत

पटना नगर निगम के कुल 75 पार्षद के सीटों में एक भी ब्राह्मण और एक भी भूमिहार चुनकर नहीं आ सके हैं। अगड़ी जाति के कुल 13 उम्मीदवार जीते हैं जिसमें कायस्थों की बहुलता है। सात कायस्थ चुनकर आये हैं, चार पार्षद राजपूत समुदाय से हैं. वहीं दो मुस्लिम पार्षद भी अगड़ी जाति से है। लेकिन निगम के मेयर पद की चाबी पिछड़े और अति पिछड़े पार्षदों के पास है। मेयर पद पर जीत के लिए कुल 38 मतों की दरकार है और जो सदस्यों का जो जातिगत गणित निकलकर सामने आ रहा है, उसके अनुसार यदि चार-पांच पिछड़े अति पिछड़ी जाति के पार्षद मिल गये तो मेयर पद पर उनका कब्जा हो जायेगा. अभी यादवों के पास सबसे ज्यादा 18 सीटें हैं, इसके बाद दूसरे नंबर पर कुरमी-कोयरी जाति के पार्षद हैं जिनकी कुल संख्या 09 है। इसके बाद तेली-बनिया जाति के आठ पार्षद हैं और चंद्रवंशी-कहार इस सूची में सात पार्षदों के साथ चौथे पायदान पर हैं यानी यादव - कुरमी-बनिया- चंद्रवंशी मिल गये तो किसी और की जरूरत नहीं होगी। इनकी कुल संख्या 42 है। जबकि जीत के लिए 38 वोटों की आवश्यकता है। दलित-महादलितों की संख्या भी हो सकती है मददगार यदि चंद्रवंशी या बनिया इधर उधर खिसके तो उसका विकल्प धानुक और नाई जाति के पार्षद पूरा कर सकेंगे उनकी संख्या तीन-तीन है। इन सबके बीच दलित महादलितों की संख्या भी अच्छी खासी है। आठ पार्षद इसी जाति-वर्ग से चुनकर आये हैं।

ये अगड़ी जाति के प्रतिनिधि- 13

वार्ड 49- सीमा वर्मा-कायस्थ, सामान्य
वार्ड 12. सविता सिन्हा-कायस्थ, सामान्य
वार्ड 34- कुमार संजीत - कायस्थ, सामान्य
वार्ड 37- संजीव आनंद- कायस्थ
वार्ड 38-आशीष कु सिन्हा-कायस्थ
वार्ड 43- प्रमिला वर्मा- कायस्थ
वार्ड 44- माला सिन्हा- कायस्थ
वार्ड 71- रेणु देवी-राजपूत, सामान्य
वार्ड 25- रजनीकांत- राजपूत, सामान्य
वार्ड 15- उर्मिला सिंह- राजपूत, सामान्य
वार्ड 06- धनराज देवी- राजपूत, सामान्य
वार्ड 40-असफर अहमद- सैय्यद, सामान्य
वार्ड 52- महजबीं - सामान्य

ये हैं पिछड़े-अति पिछड़े - यादव- 18

वार्ड 10-गीता देवी-यादव, पिछड़ा
वार्ड 14- श्वेता राय- यादव, पिछड़ा
वार्ड 16- जयप्रकाश सिंह- यादव
वार्ड 20- सीमा सिंह- यादव, पिछड़ा
वार्ड 22- अनीता देवी- यादव, पिछड़ा
वार्ड 22-बी- सुचित्रा सिंह-यादव, पिछड़ा
वार्ड 22-सी- रजनी देवी-यादव, पिछड़ा
वार्ड 24- ज्ञानवती देवी-यादव, पिछड़ा
वार्ड 26- बिंदा देवी- यादव, पिछड़ा
वार्ड 28- विनय कुमार- यादव, पिछड़ा
वार्ड 29- रंजीत कुमार- यादव, पिछड़ा
वार्ड 32-- पिंकी यादव- यादव, पिछड़ा
वार्ड 39- भारती देवी- यादव, पिछड़ा
वार्ड 42- कैलाश प्र यादव- यादव, पिछड़ा
वार्ड 55-कंचन कुमार-यादव, पिछड़ा
वार्ड 65- तरुणा राय- यादव, पिछड़ा
वार्ड 66- कांति देवी- यादव, पिछड़ा
वार्ड 72- मीरा देवी- यादव, पिछड़ा

कुरमी-कोयरी-09

वार्ड 56-किस्मती देवी-कुरमी, पिछड़ा
वार्ड 09-अभिषेक कुमार-कुर्मी, पिछड़ा
वार्ड 23- प्रभा देवी- कुरमी, पिछड़ा
वार्ड 41- कंचन देवी- कुरमी, पिछड़ा
वार्ड 33-- शीला देवी-कुशवाहा, पिछड़ा
वार्ड 53- किरण मेहता- कुशवाहा, पिछड़ा
वार्ड 68- सुनीता देवी- कुशवाहा, पिछड़ा
वार्ड 69- विकास कुमार- कुशवाहा, पिछड़ा
वार्ड 57- स्मिता रानी- कुशवाहा, पिछड़ा

तेली बनिया - 08

वार्ड 47-सतीश कुमार-तेली, अतिपिछड़ा
वार्ड 08- रीता रानी- तेली, अतिपिछड़ा
वार्ड 17- मीरा कुमारी - तेली, अतिपिछड़ा
वाडर्ु 58-सीता साहू-तेली बनिया, पिछड़ा
वार्ड 67- मनोज कुमार- जायसवाल बनिया, पिछड़ा
वार्ड 60- शोभा देवी - वैश्य बनिया, पिछड़ा
वार्ड 35- राजकुमार गुप्ता- रौनियार बनिया, अतिपिछड़ा
वार्ड 02- मधु चौरसिया- चौरसिया, अतिपिछड़ा

चंद्रवंशी- 07

वार्ड 59- नीलम कुमारी- चंद्रवंशी, अतिपिछड़ा
वार्ड 36- दीपक कुमार -चंद्रवंशी, अतिपिछड़ा
वार्ड 11- रवि प्रकाश-चंद्रवंशी, अतिपिछड़ा
वार्ड 13-जीत कुमार-चंद्रवंशी, अतिपिछड़ा
वार्ड 31- रानी सिन्हा -चंद्रवंशी, अतिपिछड़ा
वार्ड 45- प्रभा देवी- चंद्रवंशी, अतिपिछड़ा
वार्ड 48-इंद्रदीप कु चंद्रवंशी-चंद्रवंशी, अतिपिछड़ा

धानुक- 03

वार्ड 18- रंजन कुमार - धानुक, अतिपिछड़ा
वार्ड 21-पिंकी कुमारी-धानुक, अतिपिछड़ा
वार्ड 30-कावेरी सिंह -धानुक, अतिपिछड़ा

नाई- 03

वार्ड 54- अरुण शर्मा- नाई, अतिपिछड़ा
वार्ड 46 -पूनम शर्मा- नाई, अतिपिछड़ा
वार्ड 70- विनोद कुमार- नाई, अतिपिछड़ा

अन्य पिछडे-अति पिछड़े

वार्ड 03- प्रभा देवी- दांगी, अतिपिछड़ा
वार्ड 05- दीपा रानी खान- बढ़ई, अतिपिछड़ा
वार्ड 07- जयप्रकाश सहनी-साहनी, अतिपिछड़ा
वार्ड 50- आरजू - अतिपिछड़ा
वार्ड 62- तारा देवी - पिछड़ा
वार्ड 64- अब्दा कुरैशी- पिछड़ा

अनुसूचित जाति - 08

वार्ड एक - छठिया देवी-मुसहर
वार्ड चार - पानपति देवी-पासवान
वार्ड 61 - उषा देवी- चौधरी पासी
वार्ड 63 - आनंद मोहन कुमार- दलित
वार्ड 22 - दिनेश कुमार- पासी चौधरी
वार्ड 51 - विनोद कुमार- चर्मकार, दलित
वार्ड 25 - रानी कुमारी- पासवान, दलित
वार्ड 19 - शारदा देवी- चर्मकार, दलित

http://naukarshahi.com

***

No dark spaces

On triple talaq, court must say: Religious practice cannot trump modern constitutional morality

Written by Pratap Bhanu Mehta

The "triple talaq" hearing is an opportunity for the Supreme Court to finally remove some jurisprudential cobwebs that have enveloped constitutional secularism in India. It is an open question whether it will rise to the occasion or whether it will, as on previous occasions, simply fudge its way to a narrow ruling. Underlying the "triple talaq" questions are deeper issues about the nature of constitutional law in India. There are two claims that lie in the backdrop of this case that have caused a great deal of judicial confusion over the years. They have also produced deep distortions in our politics.

The first claim, very simply put, is over the constitutionality of personal laws. It is truly extraordinary that even after 70 years of Independence, thinking on this basic question remains confused. The source of mischief is a 1952 judgment in State of Bombay v Narasu Appa Mali, which, strangely enough, argued that personal laws do not count as "laws in force" under Article 13, and hence, are not subject to the test of constitutional validity. Different high courts tried at various points to overrule this, but the Supreme Court has let this strangest of claims stand.

This has had disastrous consequences for law and liberty. First, it rests on a bizarre understanding of what law is. On this point, Justice V.R. Krishna Iyer was right. It is odd not to treat personal laws as "laws." He wrote, "Personal law is law by virtue of the sanction of the sovereign behind it." Second, this doctrine seems to

enshrine a law that is higher than the constitution. For, in effect, it says that there is a body of law that is exempt from constitutional scrutiny. One can only speculate on the reasons the Supreme Court has upheld this strange idea for 70 years.

I suspect it is confused between two different propositions. It may not want to rule outright that personal laws are unconstitutional. But surely, it does not follow from this fact that they should not be subject to constitutional scrutiny. Personal law, like the Ninth Schedule, cannot be a dark space, where we cannot shine constitutional light. Third, this doctrine gives rise to serious misunderstandings about the sites of justice. As an illustration, as Flavia Agnes pointed out, there is a Delhi High Court case from 1984, Harvinder Kaur vs Harmander Singh Choudhry. The judgment argued that "introduction of constitutional law in the home is most inappropriate. It is like introducing a bull in a China shop. It will prove to be a ruthless destroyer of the marriage institution and all that it stands for. In the privacy of the home and married life, neither Article 21, nor 14, have any place."

In a nutshell, this argument can tell you how regressive the legacy of Narasu Appa is. Again, it is true that the meaning of the "home" and marriage are not exhausted by legal principles. But it does not follow that the legal structuring of the rights of individuals in the home is not subject to constitutional scrutiny. In fact, the home, and more specifically gender relations, are the sites of the most epic, intimate and consequential struggles for equality and liberty. Finally, the implication of Narasu Appa was to enshrine faith above constitution. There is a paradox here because, on the one hand, personal laws are often construed as not being religious; but they effectively provide a faith-based shield against constitutional scrutiny. Once this mischief is allowed, all kinds of faith-based arguments trump justice.

The court has a wonderful opportunity to undo this constitutional nonsense. This nonsense also created a distorted politics of secularism. Kapil Sibal may be acting in his professional capacity as a lawyer. But the symbolism of a senior Congress leader defending faith-based arguments trumping equality and freedom tells you in a nutshell what went wrong with Congress secularism (for an early brief critique, see my 'Congress, Secularism and Freedom', Seminar, 2003). It consistently allowed communal identities to trump both Article 14 and Article 21. Everyone swears by the constitution. Admittedly, the constitution is a complex text. But if Articles 14 and 21, individual liberty and equality, do not exercise moral sovereignty, then the Indian constitutional project is dead. When we say the law must pass the test of constitutionality, this is the core of the test. It's high time the Supreme Court made it clear.

The second strange doctrine is a partial consequence of the first. This is the "essential practices" test of the court. In order to ascertain whether something deserves protection under religious liberty clauses, courts may have to inquire whether the practice is in fact religious. But our courts have gone further. Rather than subjecting religious practices to the test of constitutionality, they have given lexical priority to the religious practice. One line of argument in the triple talaq case suggests that the only issue in this case is whether the practice is genuinely Islamic. If it is, uphold; if not, abolish it.

This is again patent nonsense. Even if the practice is deemed by its adherents to be essential to a religion, it has to be subject to the test of constitutional morality. The essential practices test has often not stood in the way of social reform, because the court acquired power to regulate and redefine religion.

Our judges overreach by trying to act as pandits and maulvis. But this strategy has extracted a triple price. First, it is intellectually disingenuous. The court seems to think there is some "objective" descriptive test of what counts as essential to a religion. There is none. The court smuggles in its own regulative ideal in the guise of a descriptive test. Second, it involves the court in religious controversies, and sets the state up as arbiter of religious interpretation. This is a travesty for a secular state. But, most importantly, this test fails to convey a basic message. Religious practices cannot trump modern constitutional morality. There is something quite vapid about a court going to great lengths to show that religion, properly understood, is not in conflict with constitutional morality. It may be or it may not be; some adherents may see there is a conflict, some may not. But that is neither here nor there. The triple talaq case is not about Koranic exegesis, or faith-based protections. The core question is: Will the court redeem the constitutional promise of a society where the law treats all individuals as free and equal?

The writer is president, CPR Delhi and contributing editor, 'The Indian Express'

http://indianexpress.com/article/opinion/columns/no-dark-spaces-triple-talaq-hearing-4661236/

***

Cabinet Approves Move To Privatise ....

Contd. From Page - 8

BEML employees are up in arms

The BEML Employees' Association in Mysuru decried the government's move to privatise BEML. They held several demonstrations in January and February, declaring 'Save BEML, Save Nation'.

The protesters said that they have submitted request letter to the Prime Minister and President. But no action has been taken. The protesters will not stop protesting until the government decides not to privatise BEML.

While most of the protests took place in Bengaluru, where the BEML

***

VOICE OF BUDDHA

Publisher : Dr. UDIT RAJ (RAM RAJ), Chairman - Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42

● Year : 20 ● Issue 14 ● Fortnightly ● Bi-lingual ● Total Pages 8 ● 1 to 15 June, 2017

The Nation Should Answer

Dr. Udit Raj

Ongoing bloody clashes in Saharanpur between Dalits and Thakurs are not region specific problem but it poses question before the whole nation. Does the onus lies with government only? Isn't a single voice should have arose from different corners of the country that enough is enough. Numerous losses that our country has faced has been entirely because of caste based division only. Invaders after invaders came and looted our nation. People of different castes have been living together for thousands of years. But the walls separating them is only getting stronger with each passing day. Citizens of the country should understand that till the time caste will exist democracy will be shaped by caste only. Administration and governance will be shaped by the form of democracy only. This war against casteism cannot be won till the time when different sections of society whether intellectuals, civil society, officers etc do not stand together against this curse.

Western world has got the distinction as originator of democracy and we borrowed this system from them with some changes. Democracy, which exists in Europe and America is designed according to their needs and requirements. We applied this western system as it is for our use. However, we should have taken into account the different social, political, economic and communal dynamics of our country before using it. While all democratic systems that have existed through out the globe preaches the idea of being welfare state but when this political system remains untouched with the unique social stratification, the welfare part never reaches the downtrodden masses. If efforts are not made to reduce the gap between different communities then even 100's of such social sector schemes are going to be useless. It will not be an exaggeration if one says that till the time steps are not taken to resolve unique social conflicts of our country, all efforts on political level will

go in vain. The worst role is played by some political sections who wanted to increase the divide for their own political benefits.

No one is going to be benefited from the clashes in Saharanpur. Neither the Thakurs, nor the dalits are going to benefit from it. The energy and emotions spent in these clashes would have changed the outlook of the area if it had been spent in fields like cleanliness, education, against social evils etc. I just wanted to raise the question that is it possible for someone to take lives for bringing cleanliness and removing filth and dirt. If that would have been the case, India would have led the world in the cleanliness drive. Fake pride, war of moustache and caste hegemony is going to take nation not an inch forward rather it would take it miles backward only. If this same energy would have been spent in execution of government schemes and curbing corruption then it would have been more meaningful.

Such conflicts have always been harmful and going to harm in future also. Saviour of democracy whether in politics or bureaucracy or judiciary are not at all interested in fighting against this menace. Caste equation always sits at the top of any candidate who is going to fight elections. Even after 70 years of Independence, caste equation still forms the deciding factor in distribution of tickets to candidate for elections at any level. Leaders who pitch at their highest decibel to end caste division take utmost care of caste equations while fighting elections themselves. Voters who cry for electricity, water, employment etc during election campaign, cast their vote with consideration of the caste of fighting candidates. Candidates integrity, capability, thinking, ideas often takes the backseat.

If politicians are not interested in fighting against this social burden then intellectuals and educationists should have to take the lead. The onus of bringing gender parity have been taken by middle class and intellectuals in different countries around the globe. There are lakhs of schools in India and each school has more than 50 teachers and 1000 students. If a single step from these section is taken to end this curse, it will hardly take any time to end it. Thousands of newspaper dailies, television channels and lakhs of reporters exist in our country. If they decide to start a campaign against this poison then a lot can change. Thousands of writers, poets and novelists have to come forward to take a lead. Till the time caste will exist, such discrimination and conflicts will continue to happen.

***

Cabinet Approves Move To Privatise India's Largest Defence Manufacturer

Sudhanva

In October 2016, it was announced that the Cabinet was considering a plan to sell 26% of the shares of Bharat Earth Movers Limited (BEML) to the private sector.

The government's approval to sell 26% of the shares of India's leading defence equipment manufacturer to the private sector leaves only 28% of the company's shares with the government. Therefore, it will mark the first time in Indian history that the Ministry of Defence will lose control over one of its own companies.

It was finally announced in January 2017 that the Cabinet had green-lighted the plan, allowing for a majority of BEML's shares to be owned by the private sector.

The government has also announced that similar strides will be made with ten other public sector companies. It says this is to increase profits, efficiency and to meet its deficit goal. However, critics have said that this is an effort of the government to allow back-door entry to corporations in the defence sector. The move has also triggered protests by BEML employees.

BEML is a public sector undertaking (PSU), and one of India's nine Defence PSUs. It is India's leading defence equipment manufacturer; it keeps the Indian Army and other defence forces abreast with state-of-the-art military equipment.

BEML was established in May 1964 as a PSU for the manufacture of rail coaches and spare parts and mining equipment. Presently, the Government of India owns 54% of total equity and rest 46% is held by public, financial Institutions, foreign institutional investors, banks, and employees.

BEML operates on three major business verticals for associated equipment manufacturing:

Mining & Construction Defence Rail & Metro

The company is India's leading manufacturer of defence equipment.

Privatising BEML

The government recently approved the move to reduce its shareholding from 54.03% to 28.03% – a decrease of 26%.

The Logical Indian approached 10 senior officials and workers who either are employed at BEML or were working for BEML. Most of them refused to talk to us, unwilling or divulge information or opinions. However, one of them agreed to discuss the issue. This individual is currently working for BEML; he requested to remain anonymous.

He said, "The process of strategic sale of 26%of BEML share is under process; the tender yet to be floated by a third party. It is essentially a bidding process, and the shares will go to the highest bidder. While there is concern that this will have negative effects on the employees, there is also concern because some portion of BEML's defence production activity will soon be under the control of a private company."

BEML began with a capital investment of Rs 5 crore in 1964 and has achieved a turnover of nearly Rs 3,500 crore in the present times. In fact, BEML has been one of the most profitably PSUs of India – therefore, this is not a case of the government selling a loss-incurring PSU.

The government aims to collect Rs 56,500 crore from sales of stakes in public sector companies. Similar attempts in the past have been hindered by labour union protests and volatile financial markets.

BEML is reportedly the first of the casualties. The government has also announced that similar strides will be made with ten other public sector companies. According to Livemint, other companies on the block include Hindustan News Print Ltd., Ferro Scrap Nigam Ltd., Pawan Hans Helicopters Ltd., Project & Development India Ltd., Bharat Pumps & Compressors Ltd., Central Electronics Ltd., Bridge and Roof Company India Ltd. and Hindustan Prefab Ltd.

Contd. On Page - 7

Publisher, Printer and Editor - Dr. UDIT RAJ (FORMERLY KNOWN AS RAM RAJ), on behalf of Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42, Telefax:23354843, Printed at Sanjay Printing Works, WZ-4A, Basai Road, New Delhi.
Website : www.uditraj.com E-mail: parisangh1997@gmail.com Computer typesetting by C. L. Maurya